तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज अपील संख्या 139 / 18 रमेश बनाम किरनदेई	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
31.10.23	आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। वकील अपीलान्ट द्वारा आज फिर पुनः रैस्पोडेन्ट की तलबी हेतु अवसर चाहा गया। गत पेशी 2.1.2023 पर भी अन्तिम अवसर दिया गया था उसके बाद दो पेशियों पर वकीलों द्वारा कार्य स्थगित कर दिया गया और एक पेशी पर अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी लेकिन वकील अपीलान्ट को 2.1.23 से आज दिनांक 31.10.23 तक पूरे दस माह का समय मिला किन्तु वकील अपीलान्ट द्वारा फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह पत्रावली 17.7.2018 से निरन्तर रैस्पोडेन्टस की तलबी में विचाराधीन रही है। करीब 20–22 तारीख पेशियों में यह अपील पूर्वानुसार रैस्पोडेन्टस की तलबी में चलती रही है जबकि यह कानूनी प्रावधान है कि वादी को अपने प्रकरण में यथासंभव प्रयास कर न्यायिक प्रक्रियाओं की पूति कर अपने दायित्वों का जल्द से जल्द निर्वहन करते हुये पत्रावली पर बहस सुनिश्चित करें ताकि समय रहते वास्तविक न्यायगृहिता को न्याय प्रदान किया जा सके किन्तु यहां तो स्वयं अपीलान्ट के द्वारा ही रैस्पोडेन्ट की तलबी हेतु की जाने वाली मुनासिब कार्यवाही में कोताही बरती जा रही है जो सिविल प्रक्रिया संहिता के आर्डर 9 रूल्स 5 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है। अपने ही प्रकरण को 5–6 साल तक केवल रैस्पोडेन्टस की तलबी के कारण लम्बित रखा जाना किसी भी सूरत में न्यायिक नहीं रहता है तब जबकि हायर अदालतों के द्वारा आये दिन प्रकरणों को त्वरित निस्तारण किये जाने हेतु ताकीद की जाती रहती है । यह सत्य है कि न्याय का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि न्याय किये जाने का आभास पक्षकारों को होना चाहिऐ किन्तु यहां अभी प्रकरण में करीब 5–6 साल के एक लम्बे अर्से से वकील अपीलान्ट के द्वारा रैस्पोडेन्टस की तलबी नहीं करायी जा रही है । निरन्तर रैस्पोडेन्टस की तलबी हेतु वकील अपीलान्ट को ताकीद की जाती रही है और गताझा दिनांक 2.1.2023 को भी न्यायहित में एक अन्तिम अवसर दिये जाने के बाबजूद आज पुनः अवसर चाहा जाना उनकी अपील को आगे नहीं चलाने की मंशा को जाहिर करता है। लिहाजा बार–बार ताकीद किये जाने के उपरान्त भी वकील अपीलान्ट द्वारा रैस्पोडेन्टस की एक लम्बे अर्से से तलबी नहीं कराये जाने के कारण यह अपील नोन–कम्पलायन्स में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे। 31.X.2023 संभागीय आयुक्त भरतपुर	1415 / 2.11.23 से 500 डीग को पत्रा. वापस।